पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1405 /अका./का.प/2022 रायपुर, दिनांक 26 /03/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की चौसठवीं बैठक शुक्रवार, दिनांक 25.03.2022 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति –अध्यक्ष

1.	डॉ. एस.के. प्रसाद	– सदस्य	7.	डॉ. के.एन. शर्मा	– सदस्य
2.	डॉ. सौम्या नैय्यर	– सदस्य	8.	डॉ. ममता शर्मा	– सदस्य
3.	डॉ. मधुलिका अग्रवाल	– सदस्य	9.	डॉ. समीर ठाकुर	– सदस्य
4.	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	– सदस्य	10.	श्री सोनाऊ राम नेताम	– सदस्य
5.	श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	– सदस्य	11	श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य
6.	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	– सदस्य	12	श्री द्वारिकाधीश यादव	– सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव –सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2022 एवं 21.01.2022 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **संपुष्टि की गई।**

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2022 एवं 21.01.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **सूचना ग्रहण की गई।**

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

3. डॉ. उमा गोले, प्रोफेसर, भूगोल अध्ययनशाला के भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान हेतु राशि रुपए 12,00,000.00 (रुपए बारह लाख मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : **स्वीकृति प्रदान की गई।**

4. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल, प्राध्यापक, इतिहास अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 26,72,159.00 (रुपए छब्बीस लाख बहत्तर हजार एक सौ उनसठ मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **अनुमोदन किया गया।**

5. श्री तीर्थ राम यादव, वरिष्ठ अधीक्षक, सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 7,21,281.00 (रुपए सात लाख इक्कीस हजार दो सौ इक्यासी मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

6. स्व. श्री प्रकाश क्षत्री, द्वितीय श्रेणी लिपिक, छात्र कल्याण विभाग का आकस्मिक निधन पश्चात् सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 11,02,355.00 (रुपए ग्यारह लाख दो हजार तीन सौ पचपन मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **अनुमोदन किया गया।**

7. सत्र 2021–22 में विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति हेतु राशि A GENERAL ADMINISTRATION 20. Additional Provision for Land Acquisition रुपए 200.00 लाख, मद से राशि रुपए 7,00,000.00 (रुपए सात लाख मात्र) स्थानांतरित कर पुनर्विनियोजित करने पर विचार करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

8. रूसा मद से लगभग रुपए 26,52,769.00 (रुपए छब्बीस लाख बावन हजार सात सौ उनहत्तर मात्र) के उपकरण क्रय के भुगतान को विश्वविद्यालय मद से मेचिंग शेयर के रूप में भुगतान करने के लिए स्वीकृत बजट में अतिरिक्त प्रावधान मान्य करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>संपादक विश्वविद्यालय पत्रिका से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

9. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के जर्नल में प्रकाशित होने वाले शोध आलेखों के समीक्षक (Reviewers) को मानदेय प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **स्थगित रखा जाए।**

<u>गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

10. वर्ष 2020–21 की विभिन्न सेमेस्टर एवं पूरक परीक्षाओं (मई–जून 2021) के गोपनीय मुद्रण कार्य के भुगतान की राशि रु. 8,18,185.00 (रुपए आठ लाख अठारह हजार एक सौ पच्यासी मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>कंप्यूटर सेंटर गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

11. विश्वविद्यालय के कंप्यूटरों के लिए 400 नग एंटीवायरस क्रय हेतु रुपए 7,59,731=00 (रुपए सात लाख उनसठ हजार सात सौ इकतीस मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : **स्वीकृति प्रदान की गई।**

12. विश्वविद्यालय परिसर में वाई–फाई की स्थापना किए जाने हेतु अनुमानित व्यय रुपए 43,86,000==00 (रुपए तिरालिस लाख छियासी हजार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

13. विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं/विभागों के लिए Office Pro Plus 2021 SNGL OLP NL Acdmc OR Higher लायसेंस कॉपी क्रय करने हेतु अनुमानित व्यय रुपए 20,06,000=00 (रुपए बीस लाख छः हजार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

14. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 3–32/2020/38–1 दिनांक 14.02.2022 के परिपालन में इस विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय भुगतान की अधिकतम सीमा को रु. 20800/– प्रतिमाह से रु. 31200/– प्रतिमाह किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

15. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 1–3/2012/1/5 दिनांक 02 फरवरी, 2022 के अनुपालन में माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भाँति सभी शनिवार को अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 1–3/2012/1/5 दिनांक 02 फरवरी, 2022 को अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।

<u>अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

16. श्याम बालाजी महाविद्यालय, महासममुंद में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय : प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. अनघा आगाशे के नाम का अनुमोदन किया गया।

<u>इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

17. इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के लिए निर्माता कंपनी से क्रय हेतु प्रस्तावित उपकरण Quantum Efficiency and IV measurement system) के लिए 5 प्रतिशत जी.एस.टी. के स्थान पर 18 प्रतिशत जीएसटी हेतु प्रस्तावित राशि रुपए 16,19,904/– (रुपए सोलह लाख उन्नीस हजार नौ सौ चार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक TU/V/G-CDE (448)/2021 प्राप्त हो चुका है, तद्नुसार अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

18. वित्तीय वर्ष 2020–21 वास्तविक आय–व्यय, वर्ष 2021–22 पुनरीक्षित आय–व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 का प्रस्तावित आय–व्यय के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष 2020–21 वास्तविक आय–व्यय, वर्ष 2021–22 पुनरीक्षित आय–व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित आय–व्यय का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

1. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 32,79,201.00 (रुपए बत्तीस लाख उन्यासी हजार दो सौ एक मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

2. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेंद्र पाल, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 20,42,352.00 (रुपए बीस लाख बयालीस हजार तीन सौ बावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

3. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 8,74,005.00 (रुपए आठ लाख चौहत्तर हजार पाँच मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

4. विश्वविद्यालय दैनिक वेतन भोगी के भविष्य निधि जमा पर दंड एवं ब्याज भुगतान की राशि रु. 21,89,777.00 (रुपए ईक्कीस लाख नवासी हजार सात सौ सत्तर मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. सांई सदन एजुकेशन स्कूल बेंद्री, अभनपुर, जिला–रायपुर में शासी निकाय के दो सदस्य मनोनयन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : सांई सदन एजुकेशन स्कूल बेंद्री अभनपुर जिला–रायपुर (अशासकीय महाविद्यालय) में शासी निकाय गठन हेतु निम्नलिखित दो सदस्यों के मनोनयन का अनुमोदन किया गया :–

1. **डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव, प्रोफेसर, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर**
2. **डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा, प्रोफेसर, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर**

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. स्टूडेंट टेबल एवं स्टूडेंट चेयर क्रय देयक रु. 14,62,020=00 (रुपए चौदह लाख बासठ हजार बीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

7. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग एवं अध्ययनशाला हेतु स्टेशनरी सामग्री क्रय करने के लिए संबंधित फर्मों को रु. 22,46,789.00 (रुपए बाईस लाख छियालीस हजार सात सौ नवासी मात्र) के भुगतान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग/अध्ययनशाला/परीक्षा एवं गोपनीय विभाग के उपयोग हेतु स्टेशनरी सामग्री आपूर्ति करने के पश्चात् भुगतान किए जाने वाले राशि निम्नानुसार है :–**

क्र.	फर्म का नाम	राशि (अंको में)
1.	Swapnil Products, Raipur	रु. 78,750.00
2.	मारूति ट्रेडर्स, रायपुर	रु. 39,600.00
3.	Daksh Stationers, Raipur	रु. 3,91,725.00
4.	Vinayak Enterprises, Raipur	रु. 15,77,190.00
5.	Asheesh Enterprises, Raipur	रु. 77,024.00
6.	Swastik Printery, Raipur	रु. 82,500.00

उपरोक्त फर्मों से रु. 22,46,789.00 (रुपए बाईस लाख छियालीस हजार सात सौ नवासी मात्र) की स्टेशनरी खरीदने की प्रशासनिक एवं भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

8. विश्वविद्यालय परिसर में 100 नग Street Light Poleएवं उसमें LED Street light fittingहेतु कुल अनुबंध राशि रु. 24,21,615.00 (रुपए चौबीस इक्कीस हजार छः सौ पंद्रह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : **स्वीकृति प्रदान की गई।**

9. विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 01.02.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 01.02.2022 के कार्यवृत्त का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया।**

(i) **विश्वविद्यालयके खराब हुई सड़कों के सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु 50.00 लाख का अनुमोदन एवं कार्य लोक निर्माण विभाग से कराए जाने की अनुशंसा की गई।**

(ii) **एकीकृत परीक्षा हाल भवन निर्माण हेतु आर्केटेक्ट फर्म भारती एंड एसोसियट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं भूतल निर्माण प्राक्कलन राशि रु. 2.84 करोड़ का अनुमोदन किया गया एवं कार्य लोक निर्माण विभाग से कराए जाने की अनुशंसा की गई।**

(iii) **विश्वविद्यालय द्वारा सिविल, विद्युतीय, जल प्रदाय एवं सेनेटरी कार्यों हेतु आंमत्रित निविदा 25–25 लाख को निरस्त कर पुनः निविदा आंमत्रित करने की अनुशंसा की गई।**

(iv) **विश्वविद्यालयप्रस्तावित गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु आर्केटेक्ट फर्म श्रीवास्तव बागरेचा एंड एसोसियट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन राशि रु. 3,74,11000/– का अनुमोदन किया गया एवं कार्य लोक निर्माण विभाग से कराए जाने की अनुशंसा की गई।**

<u>गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

10. **वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2021–22 हेतु अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।**

निर्णय : **अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

1. विश्वविद्यालय विद्या–परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 25.03.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

2. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 94/एफ 2019–04–04884/वि/नि/चार, दिनांक 03.02.2022 वित्त निर्देश 1/2022 के अनुरुप राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक 977/सी–761/वि/नि/चार/04, दिनांक 27.10.2004 के द्वारा अधिसूचना के बिंदु क्रमांक 02 में संशोधन पश्चात् प्रत्येक कर्मचारियों का अंशदायी पेंशन योजना में अपने वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% के समान मासिक अंशदान तथा राज्य शासन (विश्वविद्यालय) का मासिक अंशदान कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते 14% किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

3. वार्षिक परीक्षा 2022 (मार्च–अप्रैल) हेतु केंद्र अग्रिम राशि रुपए 81,90,000.00 (रुपए इक्यासी लाख नब्बे हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : **स्वीकृति प्रदान की गई।**

4. श्री गोपाल चंद्राकर, तकनीकी सहायक की सी.पी.एफ. राशि रुपए 11,71,244.00 (रुपए ग्यारह लाख इकहत्तर हजार दो सौ चौवालीस मात्र) के अंतिम भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

5. कार्पस फंड समिति की आयोजित बैठक दिनांक 21.03.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

<u>विकासविभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

6. केंद्रीय क्रय समिति के लिए कार्यपरिषद सदस्यों में से एक सदस्य के मनोनयन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **केंद्रीय क्रय समिति के लिए कार्यपरिषद सदस्यों में से एक सदस्य के मनोनयन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**

<u>पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

7. अरविंद प्रकाशन, उदयपुर से दिनांक 10.06.2021 को क्रय की गई पुस्तकों (Print)के राशि रु. 7,17,494.00 (रुपए सात लाख सत्रह हजार चार सौ चौरनबे मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. पी–एच.डी. उपाधि के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : पी–एच.डी. हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 से 10.03.2022 (अधिसूचना क्रमांक 3499 से 3582 तक) की निम्नानुसार अनुमोदन किया :-

कला संकाय	–	हिंदी–09, संस्कृत–01, अंग्रेजी–03, दर्शन–01
सामाजिक विज्ञान संकाय	–	समाजशास्त्र–04, इतिहास–03, मनोविज्ञान–03, राजनीति विज्ञान–10, अर्थशास्त्र–06, प्रा.भा. इतिहास–01, क्षेत्रीय अध्ययन–01
वाणिज्य संकाय	–	वाणिज्य–09
प्रबंध संकाय	–	प्रबंध–01
विधि संकाय	–	विधि–01
शिक्षा संकाय	–	शिक्षा–04
शारीरिक शिक्षा संकाय	–	शारीरिक शिक्षा–02
गृह विज्ञान संकाय	–	गृह विज्ञान–02
विज्ञान संकाय	–	भौतिक–02, रसायन–05, भूगोल–03, गणित–01, सांख्यिकी–01
जीव विज्ञान संकाय	–	माइक्रोबायोलॉजी–02, बायोसाइंस–04, प्राणीविज्ञान–03, बायोटेक्नालॉजी–01, मानव विज्ञान–01

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. विवेकानंद चेयर प्रोफेसर, चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय : विवेकानंद चेयर प्रोफेसर, चयन समिति की अनुशंसा अनुसार प्रो. (डॉ.) मीताश्री मित्रा के नाम का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

26.3.22

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 1406 /अका./का.प/2022

रायपुर, दिनांक 26 /03/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)